

Section - 28

Undertaking for FRA



UNDERTAKING for FRA certificate

M/s. EMIL Mines and Mineral Resources Limited, hereby undertakes to submit the NOC under The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 for Bandha Coal Mine in Singrauli Coal Field, District Singrauli, Madhya Pradesh before the grant of Stage-II "Final Approval" Forest Clearance by MoEF&CC.



Authorised Signatory

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dipesh Bhatia'.

Dipesh Bhatia
Project Head

EMIL Mines and Mineral Resources Limited

EMIL Mines And Mineral Resources Limited

Regd. Office: Industry House, 18th Floor, 10, Camac Street, Kolkata 700 017, India

CIN: U14290WB2020PLC236717 | T: +91 33 4455 5500 | F: +91 33 4455 5537

E: emmrl.registered@adityabirla.com

ADITYA BIRLA



Ref. No. EMMRL/Bandha/FRA/01/2021/17

28th June, 2021

To,
The Collector,
Singrauli, Madhya Pradesh

Sub: Request for Issuance for NoC for the Settlement of Rights of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers under "The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 related to Bandha Coal Mine, Sarai Tehsil, Singrauli - M/s. EMIL Mines And Mineral Resources Limited

Ref: Allocation Order, Nominated Authority, MOC: NA- NA -104/5/2020-NA dated 3rd March 2021

Dear Sir,
Nominated Authority, Ministry of Coal, Govt. of India has allocated Bandha Coal Mine measuring an area of 1850.94 Ha in Sarai Tehsil, Singrauli to M/s EMIL Mines And Mineral Resources Limited (EMMRL) vide above referred letter (copy enclosed as Annexure) in accordance with Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 and executed the Coal Block Development and Production Agreement (CBDPA) on 11th January'2021.

Further, in accordance with "The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006, Project Proponent needs to take an NoC from your good office and comply the same for the processing of Forest Diversion Proposal under FC Act'1980 for the diversion of 785.49 Ha forest area.

In view of above and in light of Allocation Order of Bandha Coal Mine to EMMRL by Ministry of Coal, it is requested to issue the NoC under "The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006" at your earliest for the processing of Forest Diversion Proposal.

Placed for your perusal and record.

Thanking you,
For EMIL Mines And Mineral Resources Ltd



Bacha Prasad

Bacha Prasad
Authorised Signatory & Project Head
Bandha Coal Mine

29/6/21
आवक शाखा
कलेक्टर सिंगराली मध्य प्रदेश
Encl. As above.
Copy to :- Divisional Forest Officer, Singrauli division

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला-सिंगरौली

Email id- actw.sgl@mp.gov.in

क्रमांक/3337/जजाकावि./वन अधि./ 2022

सिंगरौली दिनांक 21/01/2022

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
बैठन, जिला-सिंगरौली

विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत बन्धा कोल माईन में प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में।

- संदर्भ:- 1- परियोजना प्रमुख बन्धा कोल ब्लॉक के पत्र क्रमांक/EMMRL/ BANDHA/FRA/01/ 2021-22/40 DATE 25-09-2021
2- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1856/जजाकावि./वनअधि/2021 दिनांक 08.10.2021 पत्र क्रमांक 2372 दिनांक 01.12.2021

-00-

विषयान्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत बन्धा कोल माईन में प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में लेख किया गया है। बन्धा कोल ब्लॉक हेतु निम्नानुसार वन भूमि प्रभावित हो रही है।

क्र.	उपखण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम	कक्ष क्रमांक	प्रभावित रकबा
1	बैठन	बन्धा/तेन्दुहा	बन्धा/तेन्दुहा	RF 291	211.42
2		बन्धा	बन्धा	RF 292	280.47
3				RF 293	54.72
4				PF 316	30.28
5				RF 391	68.07
6				RF 392	26.60
7				RF 320	0.99
8		तेन्दुहा	पिडरवाह	RF 296	0.10
9				PF 317	65.61
10				RF 390	0.24
11				RF 389	42.78
12		जमगड़ी	जमगड़ी	RF 319	0.67
				योग	781.95
राजस्व वन					
13	बैठन	बन्धा	बन्धा	1448, 1176/ 1440, 535/1445	1.540
14		तेन्दुहा	पिडरवाह	682/1	2.009
				योग	3.549

कृपया प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु गठित ग्राम एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति से प्रस्ताव पारित कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि व्यपवर्तन प्रमाण पत्र प्रदाय किया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

सहायक आयुक्त

जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

पृ.क्रमांक/ 3338 /जजाकावि./वन अधि./ 2022
प्रतिलिपि:-

सिंगरौली दिनांक 21/01/2022

1. कलेक्टर जिला-सिंगरौली।
2. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली (सामान्य)।
3. उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड देवसर जिला-सिंगरौली।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/सचिव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैठन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. परियोजना प्रमुख बन्धा कोल ब्लॉक जिला-सिंगरौली को सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवसर जिला-सिंगरौली

क्रमांक/ 1582 / एसडीएम वन अधि./ 2021

देवसर दिनांक 25/10/2021

प्रति,

प्रधान/सचिव

ग्राम पंचायत बन्धा, तेन्दुहा, जमगड़ी

तहसील सरई, जिला-सिंगरौली

विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत बन्धा कोल माईन में प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में।

संदर्भ: सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली के पत्र क्रमांक/856/ जजाकावि/वन अधि/2021 दिनांक 08.10.2021

-00-

विषयान्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत बन्धा कोल माईन में प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में लेख किया गया है। बन्धा कोल ब्लाक हेतु निम्नानुसार वन भूमि प्रभावित हो रही है।

क्र.	उपखण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम	कक्ष क्रमांक	प्रभावित रकबा
1	देवसर	बन्धा/तेन्दुहा	बन्धा/तेन्दुहा	RF 291	211.42
2		बन्धा	बन्धा	RF 292	280.47
3				RF 293	54.72
4				PF 316	30.28
5				RF 391	68.07
6				RF 392	26.60
7				RF 320	0.99
8		तेन्दुहा	पिडरवाह	RF 296	0.10
9				PF 317	65.61
10				RF 390	0.24
11				RF 389	42.78
12		जमगड़ी	जमगड़ी	RF 319	0.67
				योग	781.95
राजस्व वन					
13	देवसर	बन्धा	बन्धा	1448, 1176/ 1440, 535/1445	1.540
14		तेन्दुहा	पिडरवाह	682/1	2.009
				योग	3.549

प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु गठित ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति से प्रस्ताव पारित कर कार्यवाही पंजी की छायाप्रति सहित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति देवसर को उपलब्ध करावें ताकि व्यपवर्तन प्रमाण पत्र प्रदाय की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी

देवसर, जिला-सिंगरौली

पृ.क्रमांक/1983 /एसडीएम./वन अधि./ 2021
प्रतिलिपि:-

सिंगरौली दिनांक 25/10/2021

1. कलेक्टर जिला-सिंगरौली।
2. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली (सामान्य)।
3. सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली को संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
4. परियोजना प्रमुख बन्धा कोल ब्लॉक जिला-सिंगरौली को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी
देवसर, जिला-सिंगरौली

82°22'0"E

82°22'30"E

82°23'0"E

82°23'30"E

82°24'0"E

82°24'30"E

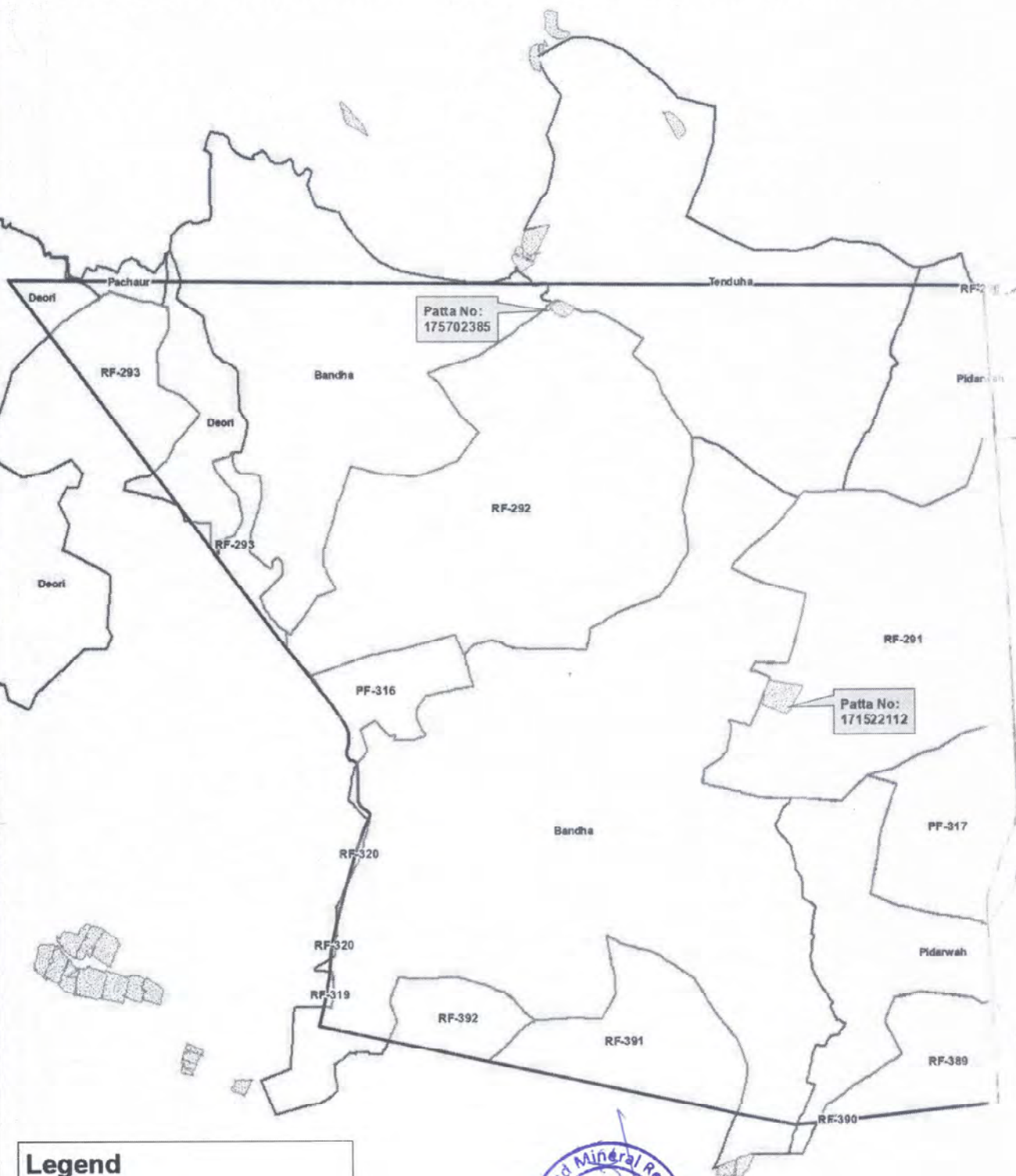
82°25'0"E

Map Showing Patta Land in Notified Forest inside Bandha Coal Block



24°8'0"N
24°7'30"N
24°7'0"N
24°6'30"N
24°6'0"N
24°5'30"N
24°5'0"N
24°4'30"N
24°4'0"N

82°22'0"E
82°22'30"E
82°23'0"E
82°23'30"E
82°24'0"E
82°24'30"E
82°25'0"E



Legend

- Patta Location
- Forest Boundary
- Village Boundary
- Bandha Mine Lease Boundary



82°22'0"E

82°22'30"E

82°23'0"E

82°23'30"E

82°24'0"E

82°24'30"E

82°25'0"E

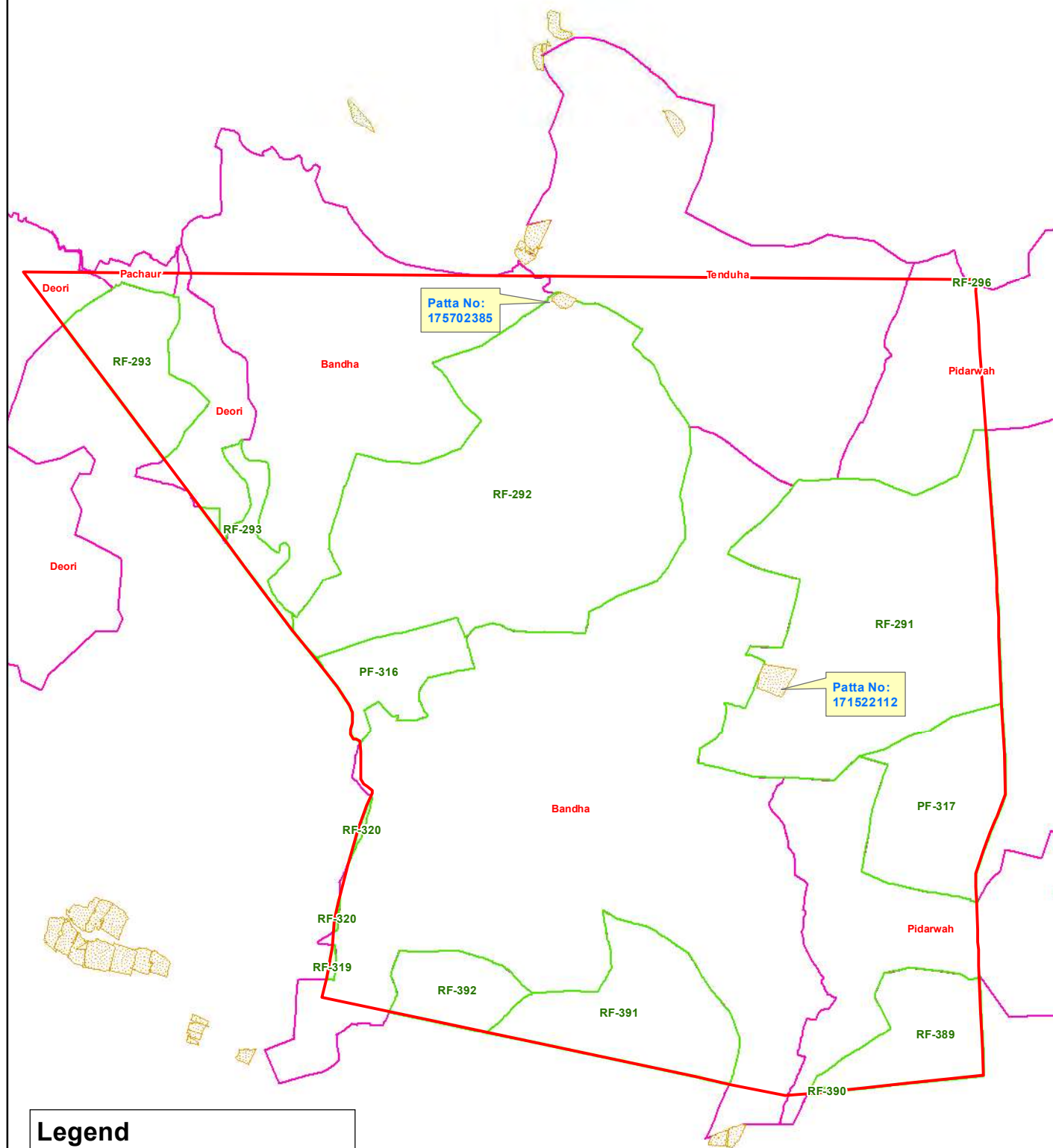
82°22'0"E 82°22'30"E 82°23'0"E 82°23'30"E 82°24'0"E 82°24'30"E 82°25'0"E

Map Showing Patta Land in Notified Forest inside Bandha Coal Block



24°8'0"N
24°7'30"N
24°7'0"N
24°6'30"N
24°6'0"N
24°5'30"N
24°5'0"N
24°4'30"N
24°4'0"N

24°8'0"N
24°7'30"N
24°7'0"N
24°6'30"N
24°6'0"N
24°5'30"N
24°5'0"N
24°4'30"N
24°4'0"N



Legend

- Patta Location
- Forest Boundary
- Village Boundary
- Bandha Mine Lease Boundary

FRA Patta Holder Details

S.No	Patta Holder	Patta No	Area (Ha.)	Compartment No	Flat Code
1	Joylal Biyar	175702385	0.782	292	175702385001
2	Ram Singh	171522112	2.681	291	171522112001

82°22'0"E 82°22'30"E 82°23'0"E 82°23'30"E 82°24'0"E 82°24'30"E 82°25'0"E

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला-सिंगरौली

Email id- actw.sgl@mp.gov.in

क्रमांक/205 /जजाकावि./वन अधि./ 2021

सिंगरौली दिनांक 19.04.2021

प्रति,

प्रोजेक्ट हेड

बंधा कोल ब्लॉक

जिला-सिंगरौली

विषय:- बंधा कोल ब्लॉक माइनिंग जीस एरिया 1850.94 हे. में RF एवं PF कक्ष क्रमांक में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जारी किये गये पट्टों की जानकारी एवं सत्यापित प्रति प्रदाय बावत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/EMMRL/बन्धा/15042021/13 दिनांक 15.04.2021

-00-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत कम्पार्टमेंट वार चाही गई जानकारी निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है-

क्र;	कक्ष क्रमांक	वन अधिकार पत्रों की संख्या	
		व्यक्तिगत	सामुदायिक
1	RF 294	05	07
2	RF 292	03	
3	RF 320	10	
4	RF 291	01	
5	RF 319	05	
6	RF 389	02	
7	RF 293	-	
8	RF 296	-	
9	PF 316	-	
10	PF 317	-	
11	RF 390	-	
12	RF 391	-	
13	RF 392	-	

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


सहायक आयुक्त

जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

पृ.क्रमांक/206 /जजाकावि./वन अधि./ 2021

सिंगरौली दिनांक 19.04.2021

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला-सिंगरौली।


सहायक आयुक्त

जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

4025
3592

उपबंध - 2

प्रकरण क्रमांक/दिनांक/तेन्दुहा/तेन्दुहा

/व्य०/021 दिनांक 23/03/2021

भारत सरकार
जनजाति कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक -

1. वनअधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित)

जग्यलाल वियार /

2. पिता/माता का नाम -

रामहित वियार

3. आश्रितों का नाम -

सियाराम वियार
शिवकुमारपुरुष बेटा
पुरुष बेटा

26

4. पता

ग्राम तेन्दुहा

5. ग्राम

तेन्दुहा

6. ग्रामपंचायत

तपु दुहा

7. तहसील

बैधन

8. जिला

सिंगरौली

9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी

अनुसूचित जनजाति

10. क्षेत्रफल

0.782

हेक्टर

11. खसरा / कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों
द्वारा सीमाओं का विवरण

कक्ष: RF 292

संलग्न मानचित्र (शीट क्र.-1) अनुसार

यह हक दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय
नहीं है:-हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने
के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

विजय सिंह

वन अधिकारी/सदस्य
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति संरक्षक
जिला -सिंगरौली (म.प्र.)

राजीव रंजन मीना

संजय खेडकर

सहायक आयुक्त/सचिव
जिला जल संवर्धन कल्याण विभाग
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

जिला कलेक्टर / उपआयुक्त

सत्यापित
सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

स्थल मानचित्र

वनअधिकार धारक (जग्यलाल वियार / रामहित वियार
कों) के नाम

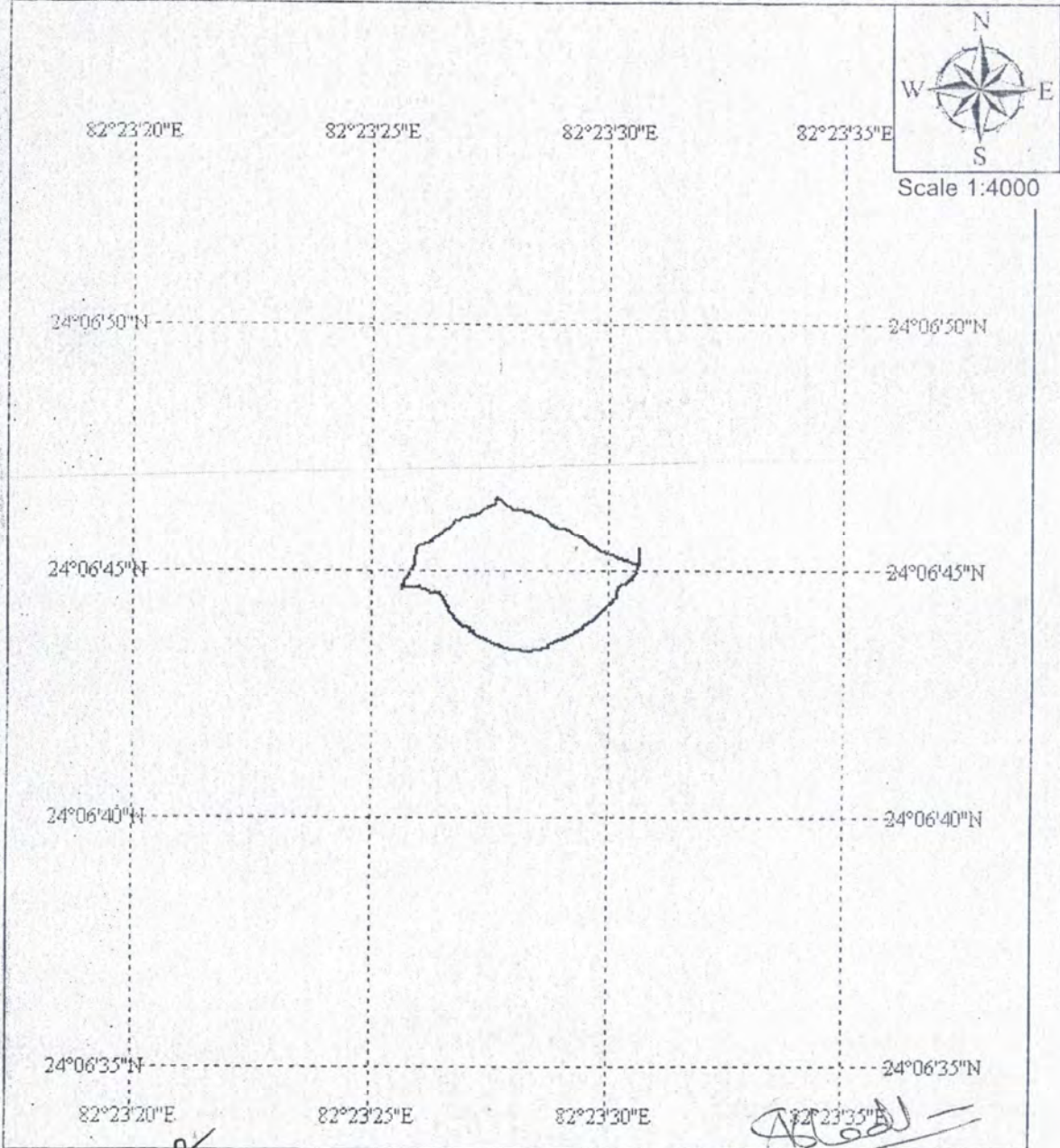
कोड 175702385

प्लॉट कोड 175702385001

प्लॉट क्रमांक 1

प्लॉट रकबा (हेक्ट.) 0.782

वनक्षेत्र का विवरण: वनपरिक्षेत्र: पूर्व सरई बीट: बाडीडिरिया
कक्ष: RF 292



सहायक वन अधिकारी
वनमण्डल (पूर्व) सिंगरौली

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग
सिंगरौली (म०प्र०)

[Handwritten signature]

सहायक आयुक्त
जिला जनजातीय कार्य विभाग
जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

32

११०४ प्रकरण क्रमांक/बैधन/ खंदा / वंदा

उपबंध - 2

14/व्य०/08 दिनांक 22-7-09

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक -

1. वनअधिकारों के धारक (कों) के नाम (पति या पत्नी सहित) राम सिंह /
2. पिता/माता का नाम - सोहन सिंह गोड
3. आश्रितों का नाम -

4. पता - ग्राम बंधा पंचायत बंधा
5. ग्राम - बंधा
6. ग्राम पंचायत: बंधा
7. तहसील बैधन
8. जिला सीधी
- 9 अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी अनुसूचित जनजाति
10. क्षेत्रफल 2.681 हेक्टर
- 11 खसरा / कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों द्वारा सीमाओं का विवरण कक्ष RF 291
(संलग्न मानचित्र (शीट क्र.- 1) अनुसार)

यह हक दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है:-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

आर० बी० शर्मा

वनमण्डलीय अधिकारी / वनसंरक्षक
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
सिंगरौली (म.प्र.)



एच० एम० दीपेंकर

परियोजना प्रशासक / सचिव
जिला जनजातीय कार्य मण्डलीय अधिकारी
सिंगरौली (म.प्र.)

पी० नरहरि

कलेक्टर / उपआयुक्त
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
सिंगरौली (म.प्र.)

यत्यादि

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

स्थल मानचित्र

वनअधिकार धारक(कों) राम सिंह / सोहन सिंह गोड
के नाम

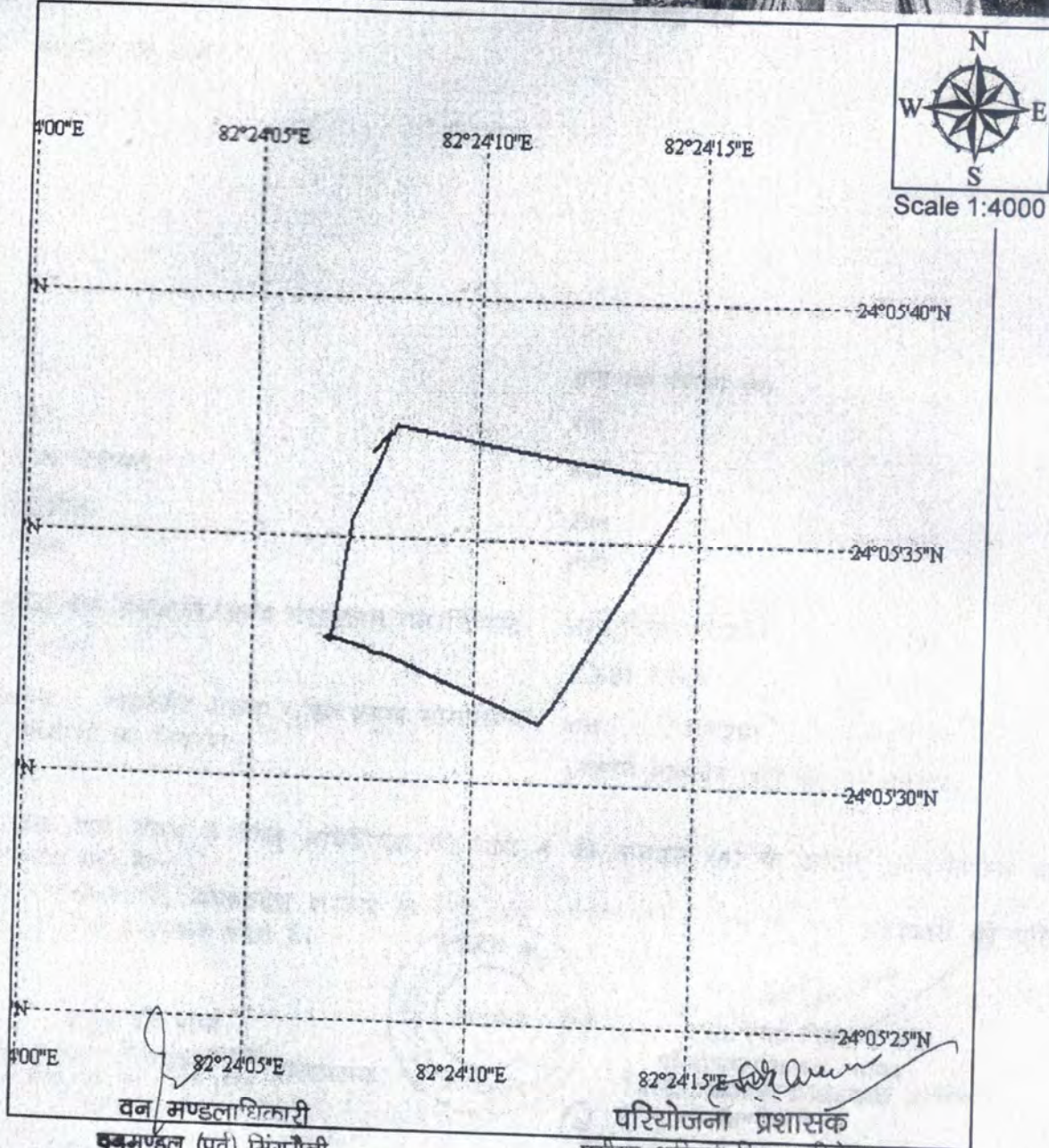
कोड 171522112

प्लॉट कोड 171522112001

प्लॉट क्रमांक 1

प्लॉट रकबा (हेक्टर) 2.681

वनक्षेत्र का विवरण परिक्षेत्र पूर्व सरई बीट बदनमाडा
कक्ष क्र. RF 291



Scale 1:4000

वन मण्डलाधिकारी

परियोजना प्रशासक

वनमण्डलीय अधिकारी/ उप वनसंरक्षक

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना

जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

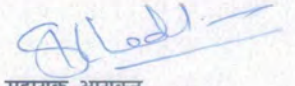
कलेक्टर

सत्यापित

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग
जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

ग्राम बन्धा में वितरित सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की सूची

क्र.	पं.क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम	आवेदनकर्ता	कक्ष क्रमांक	प्रयोजन
1	21913	बैढ़न	बन्धा	बन्धा	समस्त ग्रामवासी ग्राम बन्धा	PF 316 RF 292,293	चराई का अधिकार
2	21914	बैढ़न	बन्धा	बन्धा	समस्त ग्रामवासी ग्राम बन्धा	PF 316, RF 229	रास्ता का अधिकार
3	21915	बैढ़न	बन्धा	बन्धा	समस्त ग्रामवासी ग्राम बन्धा	RF 319	रास्ता का अधिकार
4	21916	बैढ़न	बन्धा	बन्धा	समस्त ग्रामवासी ग्राम बन्धा	PF 316, RF 293	चराई का अधिकार
5	21917	बैढ़न	बन्धा	बन्धा	समस्त ग्रामवासी ग्राम बन्धा	RF 319, 392	रास्ता का अधिकार
6	21918	बैढ़न	बन्धा	बन्धा	समस्त ग्रामवासी ग्राम बन्धा	RF 320	रास्ता का अधिकार
7	21919	बैढ़न	बन्धा	बन्धा	समस्त ग्रामवासी ग्राम बन्धा	RF 391, 392	रास्ता का अधिकार



सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली



उपाबंध-3

भारत सरकार,

जनजाति कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

सामुदायिक वन अधिकारों के लिये हक

क्रमांक/21913 /सिंगरौली/सरई/बंधा/बंधा

सामुदायिक दावा/दिनांक 12/2/2014

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम (उपाबंध अनुसार) - ग्रामवासी ग्राम बंधा
2. ग्राम/ग्रामसभा - ग्राम बंधा
3. ग्राम/ग्राम पंचायत - बंधा
4. तहसील/तालुका - सरई
5. जिला - सिंगरौली
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी - अनुसूचित जनजाति
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप - महुआ फूल एवं अन्य लघु वनोपज के विनाश विहीन संग्रहण का अधिकार
8. शर्तें यदि कोई हों - अधिनियम अनुसार
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण - पी.एफ 316 एवं आर एफ 292,293 वीट बंधा।
रूढ़िजन्य सीमा और/या खसरा/कंपार्टमेंट सं.
सहित प्रमुख सीमा चिन्ह (प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर)

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम - समस्त ग्रामवासी ग्राम बंधा

हम, अधोहस्ताक्षरी मध्यप्रदेश सरकार के लिये और उसकी ओर से सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में तथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते हैं।

एस. के. सिंह
मंडलीय वन अधिकारी/
उप वन संरक्षक
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति सिंगरौली (म.प्र.)

एम. सत्यवेन्द्रन
कल्लेकर/उपआयुक्त
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति सिंगरौली (म.प्र.)

(आई. जे. पटेल)
जिला जनजातीय कल्याण
सचिव के आधिकारिक
आदिवासी अधिकारी सिंगरौली

सत्यापित
[Signature]



उपाबंध-3
भारत सरकार,
जनजाति कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

सामुदायिक वन अधिकारों के लिये हक

क्रमांक/21914/सिंगरौली/सरई/बंधा/बंधा

सामुदायिक दावा/दिनांक 12/12/2014

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम - ग्रामवासी ग्राम बंधा
(उपाबंध अनुसार)
2. ग्राम/ग्रामसभा - ग्राम बंधा
3. ग्राम/ग्राम पंचायत - बंधा
4. तहसील/तालुका - सरई
5. जिला - सिंगरौली
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी - अनुसूचित जनजाति
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप - आवागमन हेतु रास्ते का अधिकार
(बंधा से रेलवे स्टेशन देवरा ग्राम तक)
8. शर्तें यदि कोई हों - अधिनियम अनुसार
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण - पी एफ 316 एवं आर एफ 229
रूढ़िजन्य सीमा और/या खसरा/कंपार्टमेंट सं.
सहित प्रमुख सीमा चिन्ह

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम - समस्त ग्रामवासी ग्राम बंधा

हम, अधोहस्ताक्षरी मध्यप्रदेश सरकार के लिये और उसकी ओर से सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में तथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/
उप वन संरक्षक दरभ
जनजाति वन अधिकार
सिंगरौली-म.प्र.

एम.जि.लाल केलेक्टर/
कलेक्टर उपआयुक्त
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

(आई.डी.ए.एल.)
जिला जनजातीय कल्याण
सहायक आयुक्त
आदिवासी अधिकारी,
सिंगरौली

सत्यापित



उपाबंध-3
भारत सरकार,
जनजाति कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

सामुदायिक वन अधिकारों के लिये हक

क्रमांक/ 21915 /सिंगरौली/सरई/बंधा/बंधा

सामुदायिक दावा/दिनांक 12/2/2014

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम - ग्रामवासी ग्राम बंधा
(उपाबंध अनुसार)
2. ग्राम/ग्रामसभा - ग्राम बंधा
3. ग्राम/ग्राम पंचायत - बंधा
4. तहसील/तालुका - सरई
5. जिला - सिंगरौली
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी - अनुसूचित जनजाति
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप - आवागमन हेतु रास्ते का अधिकार
(ग्राम बंधा से मंदरहिया खोली तक)
8. शर्तें यदि कोई हों - अधिनियम अनुसार
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण - आर एफ 319
रूढ़िजन्य सीमा और/या खसरा/कंपार्टमेंट सं. वीट बंधा।
सहित प्रमुख सीमा चिन्ह

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम - समस्त ग्रामवासी ग्राम बंधा

हम, अधोहस्ताक्षरी मध्यप्रदेश सरकार के लिये और उसकी ओर से सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में तथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/
उप वन संरक्षक

जिला स्तरीय वन अधिकारी

एम. जिला वन अधिकारी/
कलकत्ता

जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

जिला जनजाति कल्याण
सहायक वन अधिकारी
आदिवासी विकास, सिंगरौली



उपाबंध-3

भारत सरकार,
जनजाति कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

सामुदायिक वन अधिकारों के लिये हक

क्रमांक/21916/सिंगरौली/सरई/बंधा/बंधा

सामुदायिक दावा/दिनांक 12/2/2014

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम - ग्रामवासी ग्राम बंधा
(उपाबंध अनुसार)
2. ग्राम/ग्रामसभा - ग्राम बंधा
3. ग्राम/ग्राम पंचायत - बंधा
4. तहसील/तालुका - सरई
5. जिला - सिंगरौली
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी - अनुसूचित जनजाति
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप - चराई का अधिकार
8. शर्तें यदि कोई हों - अधिनियम अनुसार
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण - पी एफ 316, आर एफ 293
रूढ़िजन्य सीमा और/या खसरा/कंपार्टमेंट सं.
सहित प्रमुख सीमा चिन्ह
वीट बंधा।
(प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर)

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम - समस्त ग्रामवासी ग्राम बंधा

हम, अधोहस्ताक्षरी मध्यप्रदेश सरकार के लिये और उसकी ओर से सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में तथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/
वन मण्डल अधिकारी, संतरय
उप वन संरक्षक
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति सिंगरौली (म.प्र.)

एम. सैलवेन्दन
जिला कलेक्टर/
कलेक्टर/अध्यक्ष
उपआयुक्त
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

(आइ.डी.पटेल)
जिला जनजातीय कल्याण
सहायक आयुक्त
आदिवासी अधिकारी सिंगरौली

सहपात्र
[Signature]



उपाबंध-3
भारत सरकार,
जनजाति कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

सामुदायिक वन अधिकारों के लिये हक

क्रमांक / 21917 / सिंगरौली / सरई / बंधा / बंधा

सामुदायिक दावा / दिनांक 21/02/2014

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम - ग्रामवासी ग्राम बंधा
(उपाबंध अनुसार)
2. ग्राम/ग्रामसभा - ग्राम बंधा
3. ग्राम/ग्राम पंचायत - बंधा
4. तहसील/तालुका - सरई
5. जिला - सिंगरौली
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी - अनुसूचित जनजाति
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप - आवागमन हेतु पैदल रास्ते का
अधिकार (बंधा से चुरहवाटोला तक)
8. शर्तें यदि कोई हों - अधिनियम अनुसार
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण - आर एफ 319, 392
रूडिजन्य सीमा और/या खसरा/कंपार्टमेंट सं.
सहित प्रमुख सीमा चिन्ह वीट बंधा।

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम - समस्त ग्रामवासी ग्राम बंधा

हम, अधोहस्ताक्षरी मध्यप्रदेश सरकार के लिये और उसकी ओर से सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में तथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते हैं।

एस. व. सिंह
मंडलीय वन अधिकारी /
वन उप-निर्देशक / सदस्य
उप वन संरक्षक
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति सिंगरौली (म.प्र.)

एस. सैलवेजुन
जिला कलेक्टर /
कलेक्टर / अध्यक्ष
उपआयुक्त
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

(आई.डी.पटेल)
जिला जनजाति कल्याण
आदिवासी अधिकारी सिंगरौली

सत्यापन
[Signature]



उपाबंध-3

भारत सरकार,
जनजाति कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

सामुदायिक वन अधिकारों के लिये हक

क्रमांक/21918 /सिंगरौली/सरई/बंधा/बंधा

सामुदायिक दावा/दिनांक 12/02/2014

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम - ग्रामवासी ग्राम बंधा
(उपाबंध अनुसार)
2. ग्राम/ग्रामसभा - ग्राम बंधा
3. ग्राम/ग्राम पंचायत - बंधा
4. तहसील/तालुका - सरई
5. जिला - सिंगरौली
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी - अनुसूचित जनजाति
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप - आवागमन हेतु पगडंडी रास्ते का अधिकार
(बंधा से भलमड़वा टोला तक)
8. शर्तें यदि कोई हों - अधिनियम अनुसार
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण - आर एफ 320
रूडिजन्य सीमा और/या खसरा/कंपार्टमेंट सं. वीट बंधा।
सहित प्रमुख सीमा चिन्ह

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम - समस्त ग्रामवासी ग्राम बंधा

हम, अधोहस्ताक्षरी मध्यप्रदेश सरकार के लिये और उसकी ओर से सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में तथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते हैं।

एस. के. सिंह
वन मंडलीय वन अधिकारी/
जिला उप वन संरक्षक

एम. सैलवेन्द्रन
जिला स्तर पर उपआयुक्त
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

(आर. टी. गतेन)
जिला जनजातीय कल्याण
सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, सिंगरौली



उपाबंध-3
भारत सरकार,
जनजाति कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

सामुदायिक वन अधिकारों के लिये हक

क्रमांक/21919/सिंगरौली/सरई/बंधा/बंधा

सामुदायिक दावा/दिनांक 12/2/2014

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम - ग्रामवासी ग्राम बंधा
(उपाबंध अनुसार)
2. ग्राम/ग्रामसभा - ग्राम बंधा
3. ग्राम/ग्राम पंचायत - बंधा
4. तहसील/तालुका - सरई
5. जिला - सिंगरौली
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी - अनुसूचित जनजाति
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप - आवागमन हेतु रास्ते का अधिकार
(ग्राम बंधा से बुधेर तक)
8. शर्तें यदि कोई हों - अधिनियम अनुसार
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण - आर एफ 391, 392
रुद्धिजन्य सीमा और/या खसरा/कंपार्टमेंट सं.
सहित प्रमुख सीमा चिन्ह वीट बंधा।

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम - समस्त ग्रामवासी ग्राम बंधा

हम, अधोहस्ताक्षरी मध्यप्रदेश सरकार के लिये और उसकी ओर से सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में तथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते हैं।

एस. के. सिंह
ग्रामसंघीय वन अधिकारी/
जिला पर वन संरक्षक
समिति सिंगरौली (म.प्र.)

एम. सी. वेल्डन
जिला कलेक्टर/
उपआयुक्त
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

(आइ.डी.पटेल)
जिला जनजातीय कल्याण
आदिवासी अधिकारी सिंगरौली